



पत्रांक : रू.वि./सम्ब. 2018/214103-05

दिनांक : 01.12.2018

सूचना

विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले जनपद के अर्न्तगत महाविद्यालय खोलने हेतु इच्छुक समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह सत्र 2019-20 में नवीन महाविद्यालय खोलना चाहते हैं तो वह विश्वविद्यालय कैश काउन्टर से आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 31.12.2018 अनापत्ति हेतु तक अपना आवेदन समस्त संलग्नक सहित कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध करा दें। साथ ही पूर्व संचालित महाविद्यालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि वह नवीन पाठ्यक्रम खोलने के इच्छुक हों तो वह भी उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुये शासन के निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2018 तक अपना आवेदन जमा करने का कष्ट करें। उक्त तिथि के बाद अनापत्ति हेतु प्रेषित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. श्री रविन्द्र गौतम, प्रभारी वेबसाइट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलोड किये जाने हेतु।

कुलसचिव